

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

AS
27/09/18

60

दिनांक- 27/09/2018

विषय- श्री अशोक कुमार गुप्ता द्वारा सीवान जिलान्तर्गत आन्दर-रघुनाथपुर पथ के किनारे IOCL का रिटेल ओउटलेट स्थापित करने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.012 हे. वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंग- आपका पत्रांक 973, दिनांक 04.09.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में सूचित करना है कि विषयान्तर्गत प्रस्ताव पर भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के पत्रांक FP/BR/Others/23849/2017/2506 दिनांक 23.08.2018 द्वारा कुल 14 शर्तों के साथ सैद्धान्तिक स्वीकृति दी गयी है। उक्त का अनुपालन प्रतिवेदन निम्नवत् समर्पित कर रहा हूँ-

1. अपयोजित होने वाली वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करूंगा।
2. NPV के मद में मेरे द्वारा द्वारा 0.012 हे० अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये रु० 6.26 लाख प्रति हे० की दर से कुल रु० 7512/- बिहार राज्य के लिये निर्धारित, BIHAR CAMPA A/c No. 1506219923849704 कॉरपोरेशन बैंक, New Delhi में फंड ट्रांसफर कर दिनांक 24.09.2018 को राशि जमा करा दी गई है, जिसका UTR No. CBINR52018092410004589 है तथा उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है। (मूलप्रति संलग्न)।
3. मेरे द्वारा वचनबद्धता दी गयी है कि प्रस्तावित वन भूमि के लिये अगर NPV की राशि में किसी प्रकार की वृद्धि या संशोधन होता है तो, उसका भुगतान करेंगे।
4. हरितावरण को बनाये रखने हेतु मेरे द्वारा कुल राशि रु० 5,13,120/- बिहार राज्य के लिये निर्धारित, BIHAR CAMPA A/c No. 1506219923849704 कॉरपोरेशन बैंक, New Delhi में फंड ट्रांसफर कर दिनांक 24.09.2018 को राशि जमा करा दी गई है, जिसका UTR No. CBINR52018092410004589 है तथा उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है। (मूलप्रति संलग्न)।
5. मेरे द्वारा सभी प्रकार की राशि e-challan के माध्यम से फंड ट्रांसफर कर कॉरपोरेशन बैंक, New Delhi के खाता में दिनांक 24.09.2018 को जमा करा दी गयी है तथा उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है।

6. इन शक्तियों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
7. इन शक्तियों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- a. इन शक्तियों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- b. इन शक्तियों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- c. इन शक्तियों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- d. इन शक्तियों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
8. इन शक्तियों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
9. इन शक्तियों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
10. इन शक्तियों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
11. इन शक्तियों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
12. इन शक्तियों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
13. इन शक्तियों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
14. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा समय-समय पर वन अच्छादन, वृक्ष संरक्षण एवं वन प्रावधान के संबंध में जारी दिशा-निर्देश का पूरी तरह से अनुपालन करूँगी।

इस प्रकार मेरे द्वारा सभी शक्तियों का अनुपालन कर दिया गया है। अतः अनुरोध है कि मेरे द्वारा समर्पित परियोजना पर अन्तिम स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की जाय।

अनु०-यथोक्त

विश्वासभाष्यन्,

अशोक कुमार गुप्ता

श्री अशोक कुमार गुप्ता,
पिता-श्री रामायण गुप्ता,
ग्राम+पो०-अमरपुर,
जिला-सीवान, बिहार,
पिन कोड- 841 234